



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2009/आषाढ़ 2, 1931

No. 365]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2009/ASADHA 2, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2009

सा.का.नि. 439(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 16 की उपधारा (1क), उपधारा (3) और उपधारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (घक), खंड (ड) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महा निदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महा निदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महा निदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हता, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 में,-

(i) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची 1
(नियम 3 देखें)

महानिदेशक-भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यालय में वृत्तिकों के पद				
क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड	श्रेणी वेतन
1.	महा निदेशक	1	37,400-67,000/- रुपए	10,000/- रुपए तथा 12,000/- रुपए
2.	अपर महानिदेशक	4	37,400-67,000/- रुपए	8,900/- रुपए
3.	संयुक्त महानिदेशक	8	37,400-67,000/- रुपए	8,700/- रुपए
4.	उप महानिदेशक	20	15,600-39,100/- रुपए	7,600/- रुपए

महानिदेशक-भारत के प्रतियोगिता आयोग के कार्यालय में सहायक कर्मचारिवृंद				
क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड	श्रेणी वेतन
1.	उप महानिदेशक	1	15,600-39,100/- रुपए	7,600/- रुपए
2.	सहायक महानिदेशक	3	15,600-39,100/- रुपए	6,600/- रुपए
3.	कार्यालय प्रबंधक	4	9,300-34,800/- रुपए	5,400/- रुपए

टिप्पण :— महानिदेशक के पद का वेतनमान 10,000 रुपए के श्रेणी वेतन सहित 37,400-67000/- रुपए या 12,000/- रुपए श्रेणी वेतन सहित 37,400-67,000/- रुपए पर जो, पद के लिए उपयुक्त पदधारी के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए, नमनीय रखा जा सकेगा ।

[फा. सं. 5/25/2007-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 338(अ) तारीख 15 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2009

G.S.R. 439(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, namely: -

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009,-
 - (i) in rule 2, in sub-rule (1), clause (c) shall be omitted;
 - (ii) for Schedule I, the following shall be substituted, namely: -

SCHEDULE I

[See rule 3]

Post of Professionals in the office of DG-CCI				
SI. No.	Name of post	No. of posts	Pay band	Grade pay
1.	Director General	1	Rs.37,400-67,000/-	Rs.10,000/- or Rs.12,000/-
2.	Additional Director General	4	Rs.37,400-67,000/-	Rs.8,900/-
3.	Joint Director General	8	Rs.37,400-67,000/-	Rs.8,700/-
4.	Deputy Director General	20	Rs.15,600-39,100/-	Rs.7,600/-

Support Staff in the office of DG-CCI				
SI. No.	Name of post	No. of posts	Pay band	Grade pay
1.	Deputy Director General	1	Rs.15,600-39,100/-	Rs.7,600/-
2.	Assistant Director General	3	Rs.15,600-39,100/-	Rs.6,600/-
3.	Office Manager	4	Rs.9,300-34,800/-	Rs.5,400/-

Note:— The pay scale of the post of Director General may be kept flexible at Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- or Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 12,000/- as may be decided by the Competent Authority, for the purpose of suitable incumbent against the post.

[F. No. 5/25/2007-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of Indian, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 338 (E), dated the 15th May, 2009.